निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 67/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

घनश्याम पुत्र बद्री जाति मी त्रत्रना निवासी ग्राम खिवास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मित्र मीना।
2. राघेश्याम शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा ।
3. सोनी पत्नी मूलचन्द
4. कल्याण सहाय पुत्र मूलचन्द
5. रमेश चन्द पुत्र मूलचन्द
6. ज्ञानप्रकाश पुत्र मूलचन्द

   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम खेमावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
7. विमला पुत्री मूलचन्द पत्नी घनश्याम जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी अचलपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
8. सुमन पुत्री मूलचन्द पत्नी विशम्भर जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम सिंडोली तहसील दौसा, जिला दौसा ।
9. मिश्री देवी पत्नी प्रभू दयाल
10. विष्णु पुत्र प्रभू दयाल

    समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम खेमावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
11. अन्नु पुत्री प्रभूदयाल, पत्नी कैलाश निवासी ग्राम पातलवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
12. मंजू पुत्री प्रभू दयाल पत्नी छोटूलाल निवासी ग्राम पातलवास, तहसील जमवारामगढ।
13. कानाराम पुत्र गंगाराम
14. हनुमान पुत्र गंगाराम
15. कमला पुत्री गंगाराम पत्नी जगदीश
16. बसन्ती पुत्री गंगाराम पत्नी गोपाल

    समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम खेमावास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 98/2018 ब उनवानी घासी बनाम बच्ची व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने ।

उपस्थितः—

1. श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री कृष्ण कुमार खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थी सं॰ 2 लगायत 16 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 16-9-2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 98/2018 ब उनवानी घासी बनाम बच्ची व अन्य विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 98/2018 में शीर्षक उनवान में प्रार्थीगण ओर अप्रार्थीगण के नाम पते इत्यादि नहीं है और जिस पर नोटिस जारी करने के आदेश दिये जाकर मिन प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 13 को नोटिस जारी किये गये जबकि बिना शीर्षक उनवान के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर नहीं किया जा सकता। किस आधार पर किन–किन पक्षकारों को नोटिस जारी किये, इसका कोई हवाला पत्रावली पर उपलब्ध नही है। दिनांक 20.06.2019 को करीब 12.000 बजे अप्रार्थी राधेश्याम मिन प्रार्थी को कोर्ट परिसर में मिला और मिन प्रार्थी को राधेश्याम ने धमकियां दी कि मै तुमसे भूमि का कब्जा लेकर रहूंगा। एस डी ओ साहब से मेरी अच्छी जानकारी है और उनसे मेरी बात हो गई है, मेरा रोज का आना जाना रहता है और एस डी ओ साहब से मेरी व्यक्तिगत उठ बैठ है। इसलिए मै अगली तारीख पर उक्त प्रकरण को अपने पक्ष में करवा कर उक्त भूमि का कब्जा न्यायालय सहायक कलक्टर में चल रहे वाद से पहले ही ले लूंगा। उक्त राधेश्याम दिनांक 20.06.2019 को काफी देर तक एस डी ओ साहब के चैम्बर में बैठ कर उनसे बातें करता रहा और प्रार्थी को उक्त प्रकरण से धमकियां दी है। इस प्रकार एस डी ओ साहब के बरताव से जाहिर है कि प्रार्थी को उसके प्रकरण में उक्त पीठासीन अधिकारी जी से न्याय की कोई आशा नही है। इसलिए प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है । उक्त प्रकरण में शीर्षक उनवान में किन पक्षकारों के नाम पते वगैरह नहीं लिखे गये है, जबकि प्रथक से पेश किये गये प्रार्थना पत्र जिसे कि प्रथक मुकदमा में दर्ज किया गया है, आवश्यक है कि सभी पक्षकारों का नाम पता अंकित हो एवं तामील जारी हो, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नही है और उपरी कार्यवाही के तहत अप्रार्थी संख्या 2 राधेश्याम को लाभ पहुंचाने की गरज से कार्यवाही की जा रही है इस बात का पूर्ण अन्देशा मिन प्रार्थी को हो गया। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्यां 2 लगायत 16 की ओर से श्री कृष्ण कुमार खण्डेलवाल अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. उभयपक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

5. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ ने आरोपों को खण्डन करते हुये अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.04.2018 की पालना में राधेश्याम पुत्र रामकिशोर शर्मा द्वारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये है। उभय पक्ष अधिवक्ता को सुनने एवं सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में

नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

7. निर्णय आज दिनांक 16-9-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर